राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः–23/24

तारीख रजू:–25.06.2024

निर्णय दिनांकः– 01.7.25

उनवान

1. बसंती देवी पत्नी अजीतसिंह कटारिया जाति जाट निवासी मकान संख्या 1486,8 बिस्वा नजदीक डाक्टर आज्ञाराम शर्मा क्लीनिक गुरूग्राम हरि0

............प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार साहब मॉढण तह0 मॉढण जिला कोटपूतली–बहरोड

........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र– अंतर्गत धारा 111.128 एल0आर0एक्ट0

उपस्थितिः

1. श्री मकरध्वज शर्मा एडवोकेट–प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार–अप्रार्थी

–:निर्णयः– दिनांकः– 01-7-25

आज यह पत्रावली "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्तयोदय सम्बल पखवाडा" के अन्तर्गत कैंम्प अटल सेवा केन्द्र सांतो पर पेश हुई। प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर हाल 177 रकबा 1.46, 178 रकबा 0.51, 179 रकबा 1.02, 180 रकबा 0.38 है0 ग्राम बिघानाजाट तह0 मॉढण जिला कोटपूतली–बहरोड में स्थित है। जो हम प्रार्थीया की खातेदारी काश्त की आराजी दर्ज रिकॉर्ड है जिसकी सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 13.06.2024 को श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेशानुसार पटवारी हल्का द्वारा की गई तथा पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 13.06.2024 के मुताबिक आराजी मुतनाजा की पुख्ता पत्थरगढी नहीं की गई है तथा तहसीलदार साहब द्वारा राजस्व न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश लेकर आने पर पत्थरगढी की जा सकेगी। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाद तामिल न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा पत्रावली जवाब सरकार पेश हुआ। पत्रावली शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

पत्रावली में वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को रिपीट करते हुए आराजी मुतनाजा की पुख्ता पत्थरगढी सीमाज्ञान पैमाईश के आधार पर किया जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 13.06.2024 का अवलोकन किया गया। सीमाज्ञान पैमाईश तसहीलदार मॉढण के आदेश से पटवारी हल्का द्वारा हाल रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शा के मुताविक किया गया है तथा पटवारी हल्का द्वारा की गई सीमाज्ञान पैमाईश के विरूद्व किसी प्रकार की आपत्ति न्यायालय में पेश नहीं की गई है। इसलिए न्याय हित में सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 13.06.2024 के मुताबिक प्रार्थीया के खसरा नम्बर हाल 177 रकया 1.46, 178 रकया 0.51, 179 रकबा 1.02, 180 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम बीघानाजाट तह0 मॉढण जिला कोटपूतली–बहरोड पर पुख्ता पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान पैमाईश के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 128,111 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गॉढण को आदेश दिया जाता है। कि प्रार्थीया की खातेदारी के खसरा नम्बर हाल 177 रकबा 1.46, 178 रकबा 0.51, 179 रकबा 1.02, 180 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम बीघानाजाट तह0 गॉढण जिला कोटपूतली–वहरोड की सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 13.06. 2024 के आधार पर चारों तरफ के खातेदारों की उपस्थिति में पुख्ता पत्थरगढी करे। पैमाईश के मुताबिक पत्थरगढी की एवज में किसी को कब्जा नहीं दिलवाये। तहसीलदार गॉढण को आदेश की पालनार्थ अलग से लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.7.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(महेन्द्रसिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
जिला कोटपूतली–वहरोड़(राज0)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)